ग्राम पंचायत नगनोली, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत नगनोली, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत नगनोली में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री मेहताव सिंह	01.04.2021 से 31.03.2023

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	सर्व श्री अरुण कंग	01.04.2021 से 15.11.2021
2.	संजय शर्मा	12.11.2021 से 31.03.2023

(ख़) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत नगनोली, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के लेखाओं अवधि 01.04.21 से 31.03.23 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष	21.42
2)	7.1 (क)	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष	1.21
3)	8.1	निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय	9.02
4)	8.2	स्टॉक रजिस्टर में सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	7.99
5)	8.3	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	6.00
6)	8.4	आपूर्तिकर्ता के बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	0.90
7)	8.5	उचित बिलों के बिना भुगतान करना	0.82
8)	9.1	मनरेगा शीर्ष से अधिक भुगतान करना	4.62
9)	10.1	माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	6.02

ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

1) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2017 से 03/2019

क्रम संख्या	पैरा संख्या		
1.	पैरा-3	निर्णीत।	(अंकेक्षण शुल्क ₹7200/- की वसूली बैंक ड्राफ्ट संख्या 801543 दिनांक 06.08.2019 द्वारा कर ली गई है)
2.	पैरा-4 (क)	निर्णीत।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

3.	पैरा-4 (ख)	अनिर्णीत	
4.	पैरा-4 (ग)	अनिर्णीत	
5.	पैरा-4 (घ)	अनिर्णीत	
6.	पैरा-5	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7.1 (क) में पुन: प्रारूपित।
7.	पैरा-6	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6.1 में पुन: प्रारूपित।
8.	पैरा-7	अनिर्णीत।	
9.	पैरा-8	अनिर्णीत।	
10.	पैरा-9	अनिर्णीत।	
11.	पैरा-10	अनिर्णीत।	
12.	पैरा-11	अनिर्णीत।	
13.	पैरा-12	अनिर्णीत।	
14.	पैरा-13	अनिर्णीत।	
15.	पैरा-14	अनिर्णीत।	
16.	पैरा-15	अनिर्णीत।	
17.	पैरा-16	अनिर्णीत।	
18.	पैरा-17	अनिर्णीत।	
19.	पैरा-18	अनिर्णीत।	
20.	पैरा-19	अनिर्णीत।	
21.	पैरा-20	अनिर्णीत।	
22.	पैरा-21	अनिर्णीत।	
23.	पैरा-22	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 11.1

			में पुनः प्रारूपित।
24.	पैरा-23	अनिर्णीत।	
25.	पैरा-24	अनिर्णीत।	
26.	पैरा-25	अनिर्णीत।	
27.	पैरा-26	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 12 में पुनः प्रारूपित।

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत नगनोली, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण सर्वश्री देव राज व अमित कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षकों द्वारा दिनांक 28.03.2024 से 02.04.2024 तक ग्राम पंचायत नगनोली के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021-22	02/2022	07/2021
2022-23	01/2023	05/2022

"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।"

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत नगनोली, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/- आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 316/2024 दिनांक 02/04/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत नगनोली द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित पंजावर के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 329541 दिनांक 03/04/2024 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4 **(क) वित्तीय स्थिति:-**

सचिव, ग्राम पंचायत नगनोली द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 292/2024 दिनांक 28.03.2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/21 से 03/23 के लेखाओं की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण सलंग्न **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान पांच रोकड़ बहियों अर्थात् स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित Offline रोकड़ बही), स्वच्छ भारत मिशन (PFMS), 15वां वित्तायोग Offline, मुख्य मंत्री आवास योजना Offline व मनरेगा (online) का रख-रखाव किया गया था |

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (₹) (3+4)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (₹) (5-6)**
1	2021-22	1814650.99	7209322	9023972.99	6176165	2847807.99
1	2022-23	2847807.99	8272714	11120521.99	8978606	2141915.99

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत नगनोली के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.23 को निम्नानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर ₹723 था :-

1)	दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(1) का अंतशेष	2141915.99
2)	दिनांक 31.03.23 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1)**	**2140723.99**
3)	दिनांक 31.03.23 को हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	469.00
	योग (2+3)	**2141192.99**
	अन्तर (4-1)	**723.00**

दिनांक 31.03.23 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है (परिशिष्ट क-1) :-

क्रम संख्या	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**राशि (₹)**
1	KCCB Panjawar (Own & GIA)	20067012283	841009.99
2	PNB Panjawar (15th fc)	2914000111203866	1299078.00
3	PNB Panjawar (IAY)	2914000111116551	636.00
		योग	**2140723.99**
		हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	469.00
		योग (1+2)	**2141192.99**

(ग) खाता बहियों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार पंचायत को खाता बहियों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में लेखांकित आय-व्यय के सम्बन्ध में नियमानुसार खाता बहियां नहीं बनाई गई थी। खाता बहियाँ नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अनुदानों और स्वयं स्त्रोत की आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका। अतः भविष्य

में उक्त नियमानुसार खाता बहियों का रख-रखाव किया जाए तथा वांछित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

(घ) रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹723 का अन्तर :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है | जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.23 को स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष की रोकड बही एवं बैंक के अंतिम शेष में ₹723 का अन्तर पाया गया | अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 298/2024 दिनांक 01/04/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPN-3 दिनांक 02/04/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त अन्तर के कारणों बारे अभिलेख से पड़ताल करने उपरांत आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा | अतः अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 292/2024 दिनांक 28.03.2024 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPN-1 दिनांक 02/04/2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/21 से 03/23 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹21.42 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है । पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 292/2024 दिनांक

28.03.2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट "क"** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में ₹2141915.99 की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अत: ऐसे अनुदान जिनकी विहित अवधि समाप्त हो चुकी हो, तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 292/2024 दिनांक 28.03.2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या GPN-1 दिनांक 02/04/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 292/2024 दिनांक 28.03.2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या GPN-1 दिनांक 02/04/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता | अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹1.21 लाख वसूली हेतु शेष :-

(क) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 292/2024 दिनांक 28.03.2024 के क्रम संख्या 5 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या GPN-1 दिनांक 02/04/2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2023 तक पंचायत राजस्व गृहकर ₹121320/- **(परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष था :-

वर्ष	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**मांग (₹)**	**योग (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**वसूली हेतू शेष राशि (₹)**
2021-22	128020	24000	152020	52650	99370
2022-23	99370	25950	125320	4000	121320

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

ख) हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर की मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था। अतः गृहकर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.04 लाख की कम वसूली करना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति विवाह तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान **सलंग्न परिशिष्ट ग में** वर्णित मामलों में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों से ₹4200/- की कम वसूली गई थी।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली हेतु शेष राशि (₹)
1	2021-22	1600
2	2022-23	2600
	योग	**4200/-**

अतः इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 301/2024 दिनांक 01/04/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPN-3 दिनांक 02/04/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूल न की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके, राजकीय कोष के मद 0235-00-800-03 में जमा करवा दी जाएगी। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूल न की गई राशि की वसूली शीघ्र अति शीघ्र करके सरकारी कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.02 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति विवाह तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **(सलंग्न परिशिष्ट ग अनुसार)** वसूली गई राशि ₹2200 को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2021-22	1800
2	2022-23	400
	योग	**2200**

अतः इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 302/2024 दिनांक 01/04/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPN-3 दिनांक 02/04/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8.1 ₹9.02 लाख की निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय :-

सचिव (RD & PR) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या No. PCH-HC(10)FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से किया जाना अपेक्षित था तथा यदि उक्त निर्माण सामग्री हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से उपलब्ध नहीं होती है, तो पंचायत द्वारा उक्त निर्माण सामग्री का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया जा सकता है | परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा ₹902169 की निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि० प्र० सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 317/2024 दिनांक 02.04.2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या GPN-3 दिनांक 02/04/2024 द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पेवर ब्लॉक्स का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था जबकि यह क्रय उपरोक्त निर्देशों के अनुसार किया जाना वांछित था तथा भविष्य में उपरोक्त वर्णित पत्रानुसार जारी निर्देशों के अनुसार पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स के क्रय हेतू कार्यवाही अमल में लाई जाएगी | अतः उक्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय करना सुनिश्चित करें :-

क्रम संख्या	मद	बिल संख्या	माह	विवरण	राशि(18% GST सहित) (₹)
1	मनरेगा	882 / 28/08/2020	Jul-21	3000 पेवर @ 14.691/ प्रति पेवर	44073

2	मनरेगा	883 / 28/08/2020	Jul-21	3000 पेवर @ 14.691/ प्रति पेवर	44073
3	मनरेगा	884 / 28/08/2020	Jul-21	2000 पेवर @ 14.691/ प्रति पेवर	29382
4	मनरेगा	1023 / 21/11/2020	Jul-21	3000 पेवर @ 14.691/ प्रति पेवर	44073
5	मनरेगा	1024/ 21/11/2020	Jul-21	3000 पेवर @ 14.691/ प्रति पेवर	44073
6	मनरेगा	1032/ 21/11/2020	Jul-21	2000 पेवर @ 14.691/ प्रति पेवर	29382
7	मनरेगा	1017/ 21/11/2020	Jul-21	3000 पेवर @ 14.691/ प्रति पेवर	44073
8	मनरेगा	1018/ 21/11/2020	Jul-21	3000 पेवर @ 14.691/ प्रति पेवर	44073
9	मनरेगा	1021/ 21/11/2020	Jul-21	3000 पेवर @ 14.691/ प्रति पेवर	44073
10	मनरेगा	1027/ 21/11/2020	Jul-21	2000 पेवर @ 14.691/ प्रति पेवर	29382
11	मनरेगा	1022/ 21/11/2020	Jul-21	3000 पेवर @ 14.691/ प्रति पेवर	44073
12	मनरेगा	1019/ 21/11/2020	Jul-21	3000 पेवर @ 14.691/ प्रति पेवर	44073
13	मनरेगा	1025/ 21/11/2020	Jul-21	2000 पेवर @ 14.691/ प्रति पेवर	29382
14	मनरेगा	1026/ 21/11/2020	Jul-21	2000 पेवर @ 14.691/ प्रति पेवर	29382
15	मनरेगा	1029/ 21/11/2020	Jul-21	3000 पेवर @ 14.691/ प्रति पेवर	44073
16	मनरेगा	1031/ 21/11/2020	Jul-21	3000 पेवर @ 14.691/ प्रति पेवर	44073
17	मनरेगा	1020/ 21/11/2020	Jul-21	3000 पेवर @ 14.691/ प्रति पेवर	44073
18	मनरेगा	1028/ 21/11/2020	Jul-21	2000 पेवर @ 14.691/ प्रति पेवर	29382
19	मनरेगा	1030/ 21/11/2020	Jul-21	3000 पेवर @ 14.691/ प्रति पेवर	44073
20	मनरेगा	117/ 16/11/2021	May-22	2000 पेवर @ 12.744/ प्रति पेवर	25488
21	मनरेगा	118/	May-22	2000 पेवर @ 12.744/ प्रति पेवर	25488

		16/11/2021			
22	मनरेगा	115/ 16/11/2021	May-22	3000 पेवर @ 12.744/ प्रति पेवर	38232
23	मनरेगा	116/ 16/11/2021	May-22	3000 पेवर @ 12.744/ प्रति पेवर	38232
24	मनरेगा	160/ 28/12/2021	May-22	2000 पेवर @ 12.744/ प्रति पेवर	25488
				योग	**902169**

8.2 स्टॉक रजिस्टर में ₹7.99 लाख की सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 और 72 के अनुसार स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव व स्टोर / स्टॉक की प्राप्ति व खपत सम्बन्धी अभिलेख तैयार किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/21 से 03/23 के चयनित माह 07/2021 व 05/2022 में निम्न विवरणानुसार ₹798627 की सामग्री का क्रय किया गया था, लेकिन उक्त क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं था | उपरोक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 309/2024 दिनांक 02/04/2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया | प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPN-03 दिनांक 02/04/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में कर ली जाएंगी | अत: वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने के उपरांत सत्यापनार्थ हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए :-

क्रमांक	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या व माह	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	मनरेगा	शून्य 07/21	234308 01.05.21	HP Civil Supply	सीमेंट	5720
2	मनरेगा	शून्य 07/21	26, 12.08.20	Rakesh Kumar Ispur	बोर्ड	5000
3	मनरेगा	शून्य 07/21	234307 01.03.21	HP Civil Supply	सीमेंट	5720
4	मनरेगा	शून्य 07/21	02 26.05.2020	सुशिल कुमार गांव नगनोली	रेत	8000
5	मनरेगा	शून्य	04	सुशिल कुमार गांव	रेत	6600

		07/21	26.05.2020	नगनोली		
6	मनरेगा	शून्य 07/21	03 26.05.2020	सुशिल कुमार गांव नगनोली	रेत, बजरी	23300
7	मनरेगा	शून्य 07/21	01 26.05.2020	सुशिल कुमार गांव नगनोली	रेत	10000
8	मनरेगा	शून्य 07/21	882,883,884 28.08.20	M/s M&M Soami Tiles Badera Jaswan	पेवर	117528
9	मनरेगा	शून्य 07/21	82465 04.04.22	HP Civil Supply	सीमेंट (1000 बैग)	295230
10	मनरेगा	शून्य 07/21	328 to 333, 336,337 17.11.21	M/s Gagan & Bro. Ghaluwal	सरिया	321529
					योग	**798627**

8.3 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹6.00 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं | व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹599980** की सामग्री का क्रय निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 308/2024 दिनांक 02/04/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPN-03 दिनांक 02/04/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है | अत: औपचारिकताओं को पूर्ण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त राशि को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टोर / स्टॉक का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए :-

क्रमांक	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या व माह	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	36 07/21	2358 12/07/21	Hi-Tech Computer System Una	कंप्यूटर मुरम्मत	1600
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	10 05/22	94 07/04/22	Vikas Bricks Khad	ईटें	35500

3	15वां वित्तायोग	-- 05/22	73 10/01/22	Kalgidhar enterprises badera	PVC Pipe	3040
4	मनरेगा13	शून्य 07/21	10 06.04.21	Sushil Kumar Nagnoli	बजरी	6600
5	मनरेगा	शून्य 07/21	11 06.04.21	Sushil Kumar Nagnoli	पानी टैंक	3000
6	मनरेगा	शून्य 07/21	12 06.04.21	Sushil Kumar Nagnoli	ढुलाई	1000
7	मनरेगा	शून्य 07/21	13 06.04.21	Sushil Kumar Nagnoli	शटरिंग	5500
8	मनरेगा	शून्य 07/21	14 06.04.21	Sushil Kumar Nagnoli	ढुलाई	1500
9	मनरेगा	शून्य 07/21	15 06.04.21	Sushil Kumar Nagnoli	रेत	5000
10	मनरेगा	शून्य 07/21	16 06.04.21	Sushil Kumar Nagnoli	बजरी	9000
11	मनरेगा	शून्य 07/21	19 01.06.21	Sushil Kumar Nagnoli	रेत, बजरी	36700
12	मनरेगा	शून्य 07/21	26 12.08.20	Rakesh Kumar Ispur	बोर्ड	5000
13	मनरेगा	शून्य 07/21	02 26.05.2020	सुशिल कुमार गांव नगनोली	पानी टैंक, मिक्सचर, रेत इत्यादि	20500
14	मनरेगा	शून्य 07/21	02 26.05.2020	सुशिल कुमार गांव नगनोली	रेत	6600
15	मनरेगा	शून्य 07/21	03 26.05.2020	सुशिल कुमार गांव नगनोली	पानी टैंक, मिक्सचर, रेत इत्यादि	29800
16	मनरेगा	शून्य 07/21	01 26.05.2020	सुशिल कुमार गांव नगनोली	पानी टैंक, मिक्सचर, रेत इत्यादि	25000
17	मनरेगा	शून्य 07/21	27 12.08.20	Rakesh Kumar Ispur	बोर्ड	5000
18	मनरेगा	शून्य 07/21	373,374 16.11.21	M/s Abhishek Steels Una	सरिया	78111
19	मनरेगा	शून्य 07/21	328 to 333, 336,337 17.11.21	M/s Gagan & Bro. Ghaluwal	सरिया	321529
					योग	**599980**

8.4 आपूर्तिकर्ता के बिलों से ₹0.90 लाख रॉयल्टी की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा |

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 07/2021 व 05/2022 के व्यय वाउचरों की जाँच दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर,रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए | परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को संलग्न **परिशिष्ट "घ"** अनुसार ₹89646 का अनियमित भुगतान किया गया | इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 314/2024 दिनांक 02/04/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या GPN-3 दिनांक 02/04/2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है जिसे भविष्य में रॉयल्टी नियमानुसार काटी जाएगी अथवा ट्रांजिट पास फार्म लिया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25% पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था |

अत: खनन के वैध स्रोत को सुनिश्चित करते हुये मामला जिला के खनन अधिकारी से उठाया जाए तथा तदानुसार ₹89646 के अनियमित भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक: "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

8.5 उचित बिलों के बिना 0.82 लाख का भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (1) के अनुसार प्रत्येक भुगतान बिल/वाउचर द्वारा समर्थित किया जाएगा । परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मनरेगा शीर्ष से निम्नानुसार आपूर्तिकर्ता को पानी के टैंकर, रेत,

बजरी व मिक्सचर के किराये के रूप में निम्न विवरणानुसार ₹81900 का भुगतान किया गया था। लेकिन आपूर्तिकर्ता से उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बनाकर भुगतान किया गया था जोकि नियमानुसार उचित नहीं है। उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 310/2024 दिनांक 01.04.2024 के अन्तर्गत सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया। प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPN-3 दिनांक 02/04/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि सम्बन्धित व्यक्ति से उचित बिल प्राप्त कर लिए जाएंगे। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः उक्त आपूर्तिकर्ता से उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बनाकर भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से उचित बिल प्राप्त किए जाने सुनिश्चित किए जाएँ। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

क्रम संख्या	**शीर्ष का नाम**	**वाउचर संख्या व माह**	**बिल संख्या व दिनांक**	**फर्म / व्यक्ति का नाम एवं पता**	**क्रय सामान का विवरण**	**राशि (₹)**
1	मनरेगा	शून्य 07/21	02 26.05.2020	सुशिल कुमार गांव नगनोली	पानी टैंक, मिक्सचर, रेत इत्यादि	20500
2	मनरेगा	शून्य 07/21	04 26.05.2020	सुशिल कुमार गांव नगनोली	रेत	6600
3	मनरेगा	शून्य 07/21	03 26.05.2020	सुशिल कुमार गांव नगनोली	पानी टैंक, मिक्सचर, रेत इत्यादि	29800
4	मनरेगा	शून्य 07/21	01 26.05.2020	सुशिल कुमार गांव नगनोली	पानी टैंक, मिक्सचर, रेत इत्यादि	25000
					योग	**81900**

8.6 आपूर्तिकर्ता के बिलों से स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण ₹0.13 लाख का अधिक भुगतान :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति,

फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है | परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के चयनित माह 07/2021 में आपूर्तिकर्ता को सामग्री की आपूर्ति के लिए **परिशिष्ट ङ** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार ₹634950 (जी.एस.टी. को छोडकर) भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर ₹12699 की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है |

क्रम संख्या	चयनित माह	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)	योग (₹)	जी.एस.टी.टी.डी. एस. की कटौती योग्य राशि (₹)
1	07/2021	M/S M.S. SOAMI TILES, VILL. BEHAR JASWAN, P.O. THATHAL, DISTT. UNA	पेवर	634950	634950	12699 (2% x 634950)

अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 315/2024 दिनांक 02/04/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या GPN-3 दिनांक 02/04/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित ₹12699 जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा | अत: अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित फर्म से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8.7 ₹0.07 लाख का नगद रूप में भुगतान करना :-

अंकेक्षण अवधि 04/21 से 03/23 दौरान चयनित मासों 07/21 व 05/22 में किए गए व्यय के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न वर्णित ₹7100 की मजदूरी / कार्यालय व्यय हेतु भुगतान सचिव / प्रधान द्वारा नगद रूप में किया गया, जबकि हि०प्र० पंचायती राज (वित्त,

बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17(2) के अनुसार ₹1000/- से अधिक राशि का भुगतान केवल चैक द्वारा ही सम्बन्धित को किया जा सकता है | अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 305/2024 दिनांक 01/04/24 द्वारा सचिव से आग्रह किया गया, जिसके प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या GPN-3 दिनांक 02/04/2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि वर्तमान में ₹1000 से अधिक राशि का भुगतान सम्बन्धित को RTGS / Cheque / NEFT के माध्यम से किया जा रहा है तथा ऐसी गलती को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा |

क्रम संख्या	वाउचर संख्या	माह	भुगतान की गई राशि (₹)	टिप्पणी
1	31	07/21	4032	लेवर
2	32	07/21	1468	चायपान
3	36	07/21	1600	मुरम्मत कंप्यूटर
		योग	**7100**	

9.1 मनरेगा शीर्ष से ₹4.62 का अधिक भुगतान करना :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/21 से 03/23 के चयनित मास 07/2021 में सलंग्न **परिशिष्ट "च"** में वर्णित मनरेगा शीर्ष से करवाए गए निर्माण कार्यों के मूल्यांकन से सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं की जाँच के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त निर्माण सामग्री जैसे रेत, बजरी, सीमेंट व पेवर / ब्लॉक्स को खपत से अधिक जारी करने के कारण ₹461770 का अधिक भुगतान किया गया |

उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 312/2024 दिनांक 02/04/24 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया। प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPN-3 दिनांक 02/04/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा |

9.2 मनरेगा शीर्ष से ₹0.10 लाख का अनियमित भुगतान करना :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/21 से 03/23 के चयनित मास 05/2022 में मनरेगा शीर्ष से करवाए गए निर्माण कार्य C/o Shamshanghat ward No. 3 हेतु ग्राम पंचायत द्वारा बिल संख्या 373 दिनांक 16.11.21 द्वारा 190 किलो 16 MM सरिये के क्रय हेतु ₹10070 (190×53

प्रति किलो ग्राम) का भुगतान किया गया था, जबकि उक्त कार्य का मूल्यांकन माप पुस्तिका संख्या 19579 के पृष्ठ संख्या 98 पर किया गया था, माप पुस्तिका के क्रम संख्या 3 में दर्ज प्रविष्टि अनुसार उक्त निर्माण कार्य में केवल 12MM, 10MM व 8MM का ही सरिया उपयोग में लाया गया अर्थात् ग्राम पंचायत द्वारा 16 MM के सरिये के क्रय हेतु ₹10070 का अनियमित भुगतान किया गया | इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 311/2024 दिनांक 02/04/24 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या GPN-3 दिनांक 02/04/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा |

9.3 स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष से गणना में त्रुटी के कारण ₹0.05 लाख का अधिक भुगतान :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/21 से 03/23 के चयनित माह 05/22 में व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष से ग्राम पंचायत द्वारा वाउचर संख्या 13 द्वारा सामग्री के क्रय में निम्न विवरणानुसार गणना में त्रुटी के कारण ₹4500 का अधिक भुगतान PS Enterprises Una को किया गया | इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 306/2024 दिनांक 01/04/24 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या GPN-3 दिनांक 02/04/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा |

क्रम संख्या	वस्तु का नाम	मात्रा	दर (प्रति ट्राली) (₹)	भुगतान योग्य राशि (₹)	भुगतान की गई राशि (₹)	अधिक भुगतान की गई राशि (₹)
1	बजरी	2 ट्राली	2250	4500	9000	4500

10.1 ₹6.02 लाख के व्यय के मूल्यांकन से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित

माह 07/2021 में निम्न विवरणानुसार कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के बिलों के अन्तर्गत ₹601770 का भुगतान किया गया था | उपरोक्त उल्लेखित कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण अधियाचना संख्या 313/2024 दिनांक 02/04/2024 द्वारा सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPN-3 दिनांक 02/04/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएगी | नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना आपत्तिजनक है | परिणामस्वरूप किए गए कार्य के मूल्यांकन की जांच नहीं हो सकी | अतः अपेक्षित अभिलेक्ष शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए ।

क्रम संख्या	**शीर्ष का नाम**	**माह**	**कार्य का नाम**	**बिल व मस्टरोल संख्या व दिनांक**	**सामग्री**	**राशि (₹)**
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	05/22	खाता निर्माण पुली लवाणा माजरा	78862, 78885 11.05.22	सीमेंट	88569
2	15वां वित्तायोग	05/22	खाता अपवर्धन पब्लिक बैल व बाथरूम	1403 25.04.22	सरिया	50818
3	15वां वित्तायोग	05/22	खाता अपवर्धन पब्लिक बैल व बाथरूम	01 11.04.22	रेत, बजरी इत्यादि	17437
4	15वां वित्तायोग	05/22	खाता अपवर्धन पब्लिक बैल व बाथरूम	106059 (05.04.22 से 30.04.22)	मजदूरी	32188
5	मनरेगा	07/21	C/o Path link road to Jamaldeen house	1023.1024,1032 21.11.20	पेवर	117528
6	मनरेगा	05/22	निर्माण रास्ता मेन सड़क से शमशान घाट तक	82465 04.04.22	सीमेंट	295230
					योग	**601770**

10.2 प्रस्ताव, प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | अंकेक्षण अधियाचना संख्या 307/2024 दिनांक 01/04/2024 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न विवरणानुसार कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख जैसे कि प्रस्ताव संख्या, प्राक्कलन, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति, 34 नंबर फॉर्म को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या GPN-3 दिनांक 02/04/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना आपत्तिजनक है | अतः अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

क्रम संख्या	मद का नाम	माह	निर्माण कार्य का नाम
1	मनरेगा	07/21	C/o Path Jagat Ram ke ghar se Manjit Singh ke ghar tak Ward No. 2
2	मनरेगा	07/21	C/o Path va Danga Sukhdev Singh House to Balveer House Tak
3	मनरेगा	07/21	C/o Path Link road se uttam ke ghar tak

11.1 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 293/2024 दिनांक 28/03/2024 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या GPN-2 दिनांक 02/04/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राकलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103
11	स्टोर सामग्री का क्रय व उपायन करने के प्रयोजन हेतु उप समिति का गठन न करना	--	67 (3)

11.2 रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 303/2024 दिनांक 01/04/2024 द्वारा पंचायत सचिव से रसीदों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में सत्यापना हेतू प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5(5) के अनुसार बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या GPN-3 दिनांक 02/04/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि सचिव द्वारा रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया, जिसे नियमानुसार बनाकर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। अतः वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतू प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 292/2024 दिनांक 28.03.2024 के क्रम संख्या 8 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या GPN-1 दिनांक 02/04/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/21 से 03/23 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत

द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर आगामी अंकेक्षण पर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 **लघु आपत्ति विवरणिका:**- इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

14 **निष्कर्ष:**- लेखाओं में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का०/प्रति

26 JUN 2024
3017 - 3021

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(5)50/2019–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत नगनोली, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का०/प्रति

परिशिष्ट "क" पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत नगनोली, विकास खण्ड हरोली व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

संकलित वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	1814650.99	7209322	9023972.99	6176165	2847807.99
2	2022-23	2847807.99	8272714	11120521.99	8978606	2141915.99

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत नगनोली
विकास खण्ड हरोली जिला ऊना (हि.प्र.)

ग्राम पंचायत नगनोली, विकास खण्ड हरोली व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित)Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	1354947.99	2461490	3816437.99	2086044	1730393.99
2	2022-23	1730393.99	2055400	3785793.99	2943592	842201.99

मुख्य मंत्री आवास योजना Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	49922	75620	125542	124922	620
2	2022-23	620	16	636	0	636

15वां वित्तायोग Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	409781	1159474	1569255	452461	1116794
2	2022-23	1116794	1001988	2118782	819704	1299078

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत नगनोली
वि०ख० हरोली जिला ऊना (हि०प्र०)

मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	0	3512738	3512738	3512738	0
2	2022-23	0	4936944	4936944	4936944	0

स्वच्छ भारत मिशन Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
2	2022-23	0	278366	278366	278366	0

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत [illegible]
वि0ख0 हरोली जिला ऊना (हि.प्र.)

1)	दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(1) का अंतशेष	2141915.99
2)	दिनांक 31.03.23 को बैंक का अन्तशेष	**2140723.99**
3)	दिनांक 31.03.23 को हस्तगत राशि	469.00
4)	**योग (2+3)**	**2141192.99**
5)	**अन्तर (4-1)**	**723.00**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत [illegible]
[illegible] हरोली जिला ऊना (हि.प्र.)

परिशिष्ट 'क-1'

दिनांक 31.03.23 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB Panjawar (Own & GIA)	20067012283	841009.99
	PNB Panjawar (15th fc)	2914000111203866	1299078.00
	PNB Panjawar (IAY)	2914000111116551	636.00
		योग	**2140723.99**
2		**हस्तगत राशि (स्वः स्त्रोत व अनुदान)**	469.00
		योग (1+2)	**2141192.99**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत [illegible]
[illegible] जिला [illegible]

परिशिष्ट "ख" पैरा संख्या 7.1 क में संदर्भित

ग्राम पंचायत नगनोली, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2021-22	128020	24000	152020	52650	99370
2022-23	99370	25950	125320	4000	121320

परिशिष्ट ग

पैरा संख्या 7.2 व 7.3 में सन्दर्भित

ग्राम पंचायत नगनोली विकास खण्ड हरोली जिला ऊना (हि.प्र.) 04/2021 to 03/2023							
क्र.स.	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	प्राप्ति योग्य राशि	प्राप्त राशि	बकाया राशि
01	जसवंत सिंह	26/05/2021	04/06/2021	452255	200	200.00	00.00
02	राकेश कुमार	26/04/2021	17/06/2021		400	00.00	400.00
03	अनिरुध	01/07/2021	23/07/2021	452256	200	200.00	00.00
04	सुशील कुमार	25/07/2021	19/08/2021		200	00.00	200.00
05	रोहित शर्मा	11/10/2021	18/10/2021		200	00.00	200.00
06	अमन पंवार	07/11/2021	11/11/2021	452272	200	200.00	00.00
07	मोहित ठाकुर	11/10/2021	16/11/2021	452273	400	200.00	200.00
08	ललित कृषण	13/10/2021	30/11/2021	452616	400	200.00	200.00
09	जसविंदर सिंह	22/11/2021	15/12/2021	452298	200	200.00	00.00
10	सतविंदर सिंह	29/11/2021	22/12/2021	452636	200	200.00	00.00
11	उमेश कुमार	12/11/2021	20/11/2021	452654	200	200.00	00.00
12	संदीप मोहम्मद	15/01/2022	07/02/2022	452658	200	200.00	00.00
13	प्रमोद कुमार	23/01/2022	15/02/2022		200	00.00	200.00
14	अमन कुमार	07/02/2022	04/03/2022		200	00.00	200.00
15	विनय कुमार	05/04/2022	21/04/2022		200	00.00	200.00
16	सुशील कुमार	28/04/2022	02/05/2022		200	00.00	200.00
17	सुरिंदर कुमेर	21/04/2022	04/05/2022		200	00.00	200.00
18	कुलवीर सिंह	07/07/2022	16/07/2022		200	00.00	200.00
19	अंकित शर्मा	16/04/2022	16/07/2022	453503	400	200.00	200.00
20	विशाल	11/08/2022	01/09/2022		200	00.00	200.00
21	सुनील मोहम्मद	08/11/2022	25/11/2022		200	00.00	200.00
22	महादेव अत्री	17/11/2022	05/12/2022		200	00.00	200.00
23	प्रदीप कुमार	02/12/2022	21/01/2023		400	00.00	400.00
24	विनय कुमार	10/02/2023	01/03/2023	453533	200	200.00	00.00
25	निखिल	17/02/2023	15/03/2023		200	00.00	200.00
26	रोहित कुमार	02/12/2022	29/03/2023		400	00.00	400.00
				कुल योग	6400	2200.00	4200.00

for – GRS G.P. Nagnoli

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत नगनोली
विकास खण्ड हरोली जिला ऊना (हि.प्र.)

परिशिष्ट ध्य

पैरा संख्या 8.5 में संदर्भित

ग्राम पंचायत नगनोली, विकास खंड हरोली, जिला ऊना

क्रम संख्या	योजना	वाउचर संख्या/माह	कार्य का नाम	बिल संख्या/दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	मात्रा(कयुबिक मीटर)मे	कन्वर्जन फैक्टर	मात्रा टनों में	दर प्रति टन	देय रॉयलटी
1	मनरेगा	0 / 07-2021	निर्माण चो नाला केवल क्रिशन, प्रदीप,रामसरूप से लेकर खड्ड तक	15 / 06/04/2021	सुशील कुमार ग्राम ब डाकखाना नगनोली	रेत	15	1.62	24.3	80	1944
2	मनरेगा	0 / 07-2021	निर्माण चो नाला केवल क्रिशन, प्रदीप,रामसरूप से लेकर खड्ड तक	10 / 06/04/2021	सुशील कुमार ग्राम ब डाकखाना नगनोली	बजरी	9	1.52	13.68	80	1094.4
3	मनरेगा	0 / 07-2021	निर्माण चो नाला केवल क्रिशन, प्रदीप,रामसरूप से लेकर खड्ड तक	16 / 06/04/2021	सुशील कुमार ग्राम ब डाकखाना नगनोली	बजरी	27	1.52	41.04	80	3283.2
4	मनरेगा	0 / 07-2021	निर्माण रास्ता कुलदीप के घर से चो तक	01 / 26/05/2020	सुशील कुमार ग्राम ब डाकखाना नगनोली	रेत	15	1.62	24.3	80	1944
5	मनरेगा	0 / 07-2021	निर्माण रास्ता जोगिन्दर के घर से सरवन के घर तक	02 / 26/05/2020	सुशील कुमार ग्राम ब डाकखाना नगनोली	रेत	12	1.62	19.44	80	1555.2
6	मनरेगा	0 / 07-2021	निर्माण रास्ता बलबीर के घर से कुए तक	04 / 26/05/2020	सुशील कुमार ग्राम ब डाकखाना नगनोली	रेत	9	1.62	14.58	80	1166.4
	मनरेगा				सुशील कुमार	रेत	15	1.62	24.3	80	1944

7	मनरेगा	0 / 07-2021	निर्माण रास्ता पिपली स्कूल से सिंघा मोह तक	03 / 26/05/2020	ग्राम ब डाकखाना नगनोली	बजरी	21	1.52	31.92	80	2553.6
8	मनरेगा	0 / 07-2021	C/o path Link Road to H/o Kashmir Singh	19 / 01/06/2020	सुशील कुमार ग्राम ब डाकखाना नगनोली	रेत	15	1.62	24.3	80	1944
						बजरी	33	1.52	50.16	80	4012.8
						रेत	9	1.62	14.58	80	1166.4
9	मनरेगा	0 / 07-2021	C/o Path Primary School TO Cho	111 / 16/11/2021	M/S P.S.ENTER PRISES, ग्राम ब डाकखाना नगनोली	रेत	30	1.62	48.6	80	3888
						बजरी	57	1.52	86.64	80	6931.2
						रेत	15	1.62	24.3	80	1944
10	मनरेगा	0 / 05-2022	C/o Path Link Road Se Uttam Ke Ghar Tak	115 / 04/01/2022	यथोपरि	रेत	27	1.62	43.74	80	3499.2
						बजरी	51	1.52	77.52	80	6201.6
11	मनरेगा	0 / 05-2022	निर्माण रास्ता मल्कियत सिंह के घर से पुली तक वार्ड न. 02	121 / 12/02/2022	यथोपरि	रेत	33	1.62	53.46	80	4276.8
12	मनरेगा	0 / 05-2022	निर्माण रास्ता मल्कियत सिंह के घर से पुली तक वार्ड न. 02	124 / 12/02/2022	यथोपरि	बजरी	60	1.52	91.2	80	7296
						रेत	12	1.62	19.44	80	1555.2
13	मनरेगा	0 / 05-2022	निर्माण रास्ता मल्कियत सिंह के घर से पुली तक वार्ड न. 02	127 / 12/02/2022	यथोपरि	बजरी	6	1.52	9.12	80	729.6

14	मनरेगा	0 / 05-2022	C/o Path Primary School To Panchyat Ghar Tak	146/ 05/03/2022	यथोपरि	बजरी	6	1.52	9.12	80	729.6
						रेत	15	1.62	24.3	80	1944
15	मनरेगा	0 / 05-2022	C/o Path Primary School To Panchyat Ghar Tak	135/ 05/03/2022	यथोपरि	रेत	9	1.62	14.58	80	1166.4
						बजरी	15	1.52	22.8	80	1824
16	मनरेगा	0 / 05-2022	C/o Path Nand Lal Ke Ghar Se Trith Ram Ke Ghar Tak	137/ 05/03/2022	यथोपरि	रेत	12	1.62	19.44	80	1555.2
						रेत	12	1.62	19.44	80	1555.2
						बजरी	33	1.52	50.16	80	4012.8
										योग	71716.8
										25% पेनल्टी	17929.2
										कुल योग	89646

(हि.प्र.)

पैरा संख्या 8.6 में सन्दर्भित

परिशिष्ट ड.

ग्राम पंचायत नंगनोली द्वारा माह 07/2021 में किए गए भुगतान का विवरण

क्रम संख्या	फर्म का नाम	वाउचर संख्या	माह	बिल संख्या	दिनाक	राशी 18% GST अतिरिक्त
1	M/S M.S. SOAMI TILES, VILL. BEHAR JASWAN, P.O. THATHAL, DISTT. UNA	शून्य	Jul-21	882	28/08/2020	37350
2	M/S M.S. SOAMI TILES, VILL. BEHAR JASWAN, P.O. THATHAL, DISTT. UNA	शून्य	Jul-21	883	28/08/2020	37350
3	M/S M.S. SOAMI TILES, VILL. BEHAR JASWAN, P.O. THATHAL, DISTT. UNA	शून्य	Jul-21	884	28/08/2020	24900
4	M/S M.S. SOAMI TILES, VILL. BEHAR JASWAN, P.O. THATHAL, DISTT. UNA	शून्य	Jul-21	1023	21-11-2020	37350
5	M/S M.S. SOAMI TILES, VILL. BEHAR JASWAN, P.O. THATHAL, DISTT. UNA	शून्य	Jul-21	1024	21-11-2020	37350
6	M/S M.S. SOAMI TILES, VILL. BEHAR JASWAN, P.O. THATHAL, DISTT. UNA	शून्य	Jul-21	1032	21-11-2020	24900
7	M/S M.S. SOAMI TILES, VILL. BEHAR JASWAN, P.O. THATHAL, DISTT. UNA	शून्य	Jul-21	1017	21-11-2020	37350
8	M/S M.S. SOAMI TILES, VILL. BEHAR JASWAN, P.O. THATHAL, DISTT. UNA	शून्य	Jul-21	1018	21-11-2020	37350
9	M/S M.S. SOAMI TILES, VILL. BEHAR JASWAN, P.O. THATHAL, DISTT. UNA	शून्य	Jul-21	1021	21-11-2020	37350
10	M/S M.S. SOAMI TILES, VILL. BEHAR JASWAN, P.O. THATHAL, DISTT. UNA	शून्य	Jul-21	1027	21-11-2020	24900

परिशिष्ट च

पैरा संख्या 9.1 में संदर्भित

मनरेगा शीर्ष से करवाए गये निर्माण कार्यों हेतु ₹4.62/- लाख की निर्माण सामग्री सीमेंट, बजरी व पेवर / ब्लॉक्स को खपत से अधिक जारी करने के कारण अधिक / अनियमित व्यय करना :-

क) निर्माण कार्य का नाम :- निर्माण चो नाला केवल क्रिशन, प्रदीप, रामसरूप से लेकर खड्ड तक

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (घन मीटर)	बजरी
29825 47	CC 1:4:8	39.89	35.50
	बिल संख्या 93, 10 व 16 अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा		**50.97**
	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री		**15.47**
	क्रय दर		777 प्रति घन मीटर
	अधिक भुगतान (15.47×777)		**12020/-**

ख) निर्माण कार्य का नाम :- निर्माण रास्ता कुलदीप के घर से चो तक

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (वर्ग मीटर)	पेवर / ब्लॉक्स
29792 81	Providing and laying heavy duty precast 60mm interlock paver/blocks	375	13125
	ग्राम पंचायत द्वारा जारी / खपत मात्रा		**18200**
	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री		**5075**
	क्रय दर		15.59 प्रति पेवर
	अधिक भुगतान		**79119/-**

ग) निर्माण कार्य का नाम :- **C/o Path va Danga Sukhdev singh House to balveer House**

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (वर्ग मीटर)	पेवर / ब्लॉक्स
29825 76	Providing and laying heavy duty precast 60mm interlock paver/blocks	156.55	5479
	ग्राम पंचायत द्वारा जारी / खपत मात्रा		**8000**
	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री		**2521**
	क्रय दर		14.69 प्रति पेवर
	अधिक भुगतान		**37033/-**

11	M/S M.S. SOAMI TILES, VILL. BEHAR JASWAN, P.O. THATHAL, DISTT. UNA	शून्य	Jul-21	1022	21-11-2020	37350
12	M/S M.S. SOAMI TILES, VILL. BEHAR JASWAN, P.O. THATHAL, DISTT. UNA	शून्य	Jul-21	1019	21-11-2020	37350
13	M/S M.S. SOAMI TILES, VILL. BEHAR JASWAN, P.O. THATHAL, DISTT. UNA	शून्य	Jul-21	1025	21-11-2020	24900
14	M/S M.S. SOAMI TILES, VILL. BEHAR JASWAN, P.O. THATHAL, DISTT. UNA	शून्य	Jul-21	1026	21-11-2020	24900
15	M/S M.S. SOAMI TILES, VILL. BEHAR JASWAN, P.O. THATHAL, DISTT. UNA	शून्य	Jul-21	1029	21-11-2020	37350
16	M/S M.S. SOAMI TILES, VILL. BEHAR JASWAN, P.O. THATHAL, DISTT. UNA	शून्य	Jul-21	1031	21-11-2020	37350
17	M/S M.S. SOAMI TILES, VILL. BEHAR JASWAN, P.O. THATHAL, DISTT. UNA	शून्य	Jul-21	1020	21-11-2020	37350
18	M/S M.S. SOAMI TILES, VILL. BEHAR JASWAN, P.O. THATHAL, DISTT. UNA	शून्य	Jul-21	1028	21-11-2020	24900
19	M/S M.S. SOAMI TILES, VILL. BEHAR JASWAN, P.O. THATHAL, DISTT. UNA	शून्य	Jul-21	1030	21-11-2020	37350
					TOTAL	634950

घ) निर्माण कार्य का नाम :- निर्माण रास्ता जोगिन्दर के घर से सरवन के घर तक

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (वर्ग मीटर)	पेवर / ब्लॉक्स
29792 71	Providing and laying heavy duty precast 60mm interlock paver/blocks	142.50	4987
	ग्राम पंचायत द्वारा जारी / खपत मात्रा		**19500**
	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री		**14513**
	क्रय दर		15.59 प्रति पेवर
	अधिक भुगतान		**226258/-**

ङ) निर्माण कार्य का नाम :- निर्माण रास्ता बलवीर के घर से कुएं तक

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (वर्ग मीटर)	पेवर / ब्लॉक्स
29792 54	Providing and laying heavy duty precast 60mm interlock paver/blocks	361.23	12643
	ग्राम पंचायत द्वारा जारी / खपत मात्रा		**18200**
	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री		**5557**
	क्रय दर		15.59 प्रति पेवर
	अधिक भुगतान		**86634/-**

च) निर्माण कार्य का नाम :- निर्माण रास्ता प्राइमरी स्कूल से पंचायत घर तक

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (घन मीटर)	सीमेंट
19579, 16	CC 1:5:10	6.00	15.60
16	CC 1:6:12	3.15	6.93
19579, 20	CC1:6:12	10.97	24.13
20	CC1:2:4	4.19	26.81
		योग	73.47
	कार्य हेतु द्वारा जारी / खपत मात्रा		**87**
	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री		**13**
	क्रय दर		295.23 प्रति बैग
	अधिक भुगतान		**3838/-**

छ) निर्माण कार्य का नाम :- निर्माण चो नाला केवल क्रिशन, प्रदीप, रामसरूप से लेकर खड्ड तक

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (घन मीटर)	सीमेंट (बैग)
19579, 48	CC 1:6:12	9.56	21.03
69	CC 1:5:10	40.80	106.08
		योग	127.11
	कार्य हेतु द्वारा जारी / खपत मात्रा		**150 (बैग)**
	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री		**22 (बैग)**
	क्रय दर		295.23 प्रति बैग
	अधिक भुगतान		**6495/-**

ज) निर्माण कार्य का नाम :- निर्माण रास्ता लिंक रोड से पंचायत घर तक

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (घन मीटर)	सीमेंट (बैग)
19621, 25	CC 1:6:12	4.5	9.90
25	CC 1:4:8	4.86	16.52
25	CC1:2:4	5.10	32.64
		योग	**59.06 (बैग)**
	कार्य हेतु द्वारा जारी / खपत मात्रा		**70.00 (बैग)**
	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री		**11 (बैग)**
	क्रय दर		295.23 प्रति बैग
	अधिक भुगतान		**3248/-**

झ) निर्माण कार्य का नाम :- निर्माण रास्ता प्राइमरी स्कूल से चो तक

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (वर्ग मीटर)	पेवर / ब्लॉक्स
29825 95	Providing and laying heavy duty precast 60mm interlock paver/blocks	386.13	13515
	ग्राम पंचायत द्वारा जारी / खपत मात्रा		**14000**
	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री		**485**
	क्रय दर		14.69 प्रति पेवर
	अधिक भुगतान		**7125/-**

कुल अधिक भुगतान (12020+79119+37033+226258+86634+3838+6495+3248+7125)= 461770/-

Junior Auditor,
H.P. State Audit Department
Shimla-171009
Audit Circle Una